# फर्द अहकाम

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– हमेरा | विपक्षी :– देवीलाल
किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. | पत्रावली संख्या : 110/23

क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा मुवक्कार जारी की गई

दिनांक : 08.01.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 3 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 4 से 6 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 के सम्मन रजि. एडी से भेजकर डिलिवरी सर्टिफिकेट पेश किया गया। विपक्षी संख्या 2 के सम्मन भेजे हुए 1 महिने से अधिक का समय हो चुका हैं। अनुपस्थित हैं। आवाजे दिलवाई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 7 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 3 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी अपनी भूमि का विकास करना चाहता हैं तथा कृषि भूमि के चारो ओर तारबन्दी करवाना चाहता हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आये दिन विवाद होता हैं जिससे प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। अतः प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

### —: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की खाता संख्या नया 1793 की आराजी संख्या 4829, 4831, 4839, 5314, 5315 किता 5 रकबा 1.1400 हैक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को एक दिन का वेतन प्रार्थी द्वारा [illegible] हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.09 15:39:56 IST
Reason: SelfAttested